233

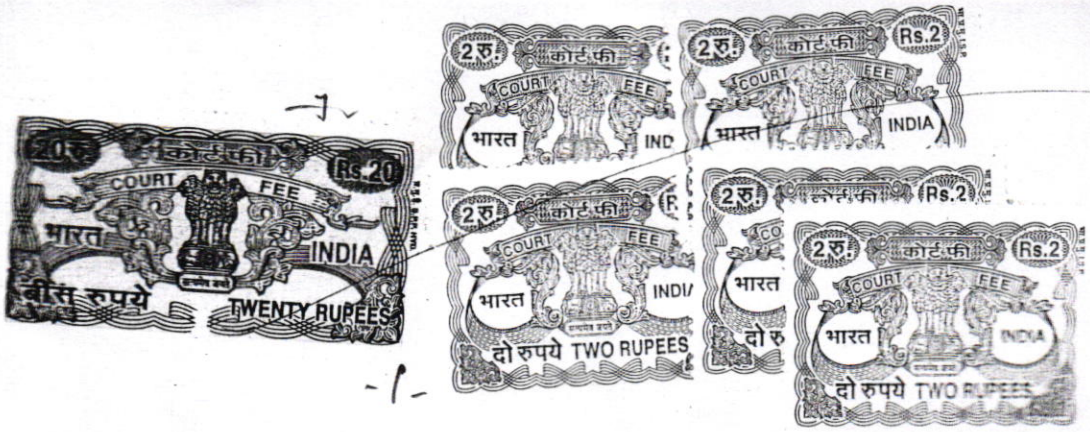

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर सागर कैम्प

R 4015-IV

1. मोहित कुमार पिता स्व. श्री उमाकांत सोनी निवासी बमीठा तह. राजनगर जिला छतरपुर

2. सीताराम शर्मा पिता विन्द्रावन शर्मा निवासी दवगांव तह. राजनगर जिला छतरपुर ....आवेदकगण

//विरूद्ध//

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्र 94/अ–6/2015–16 में प्रचलित कार्यवाही एवं पारित आदेश दिनांक 18–11–2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि देवगांव स्थित भूमि खसरा नंबर 902/, रकवा 0.907 हे0 भूमि राजस्व अभिलेख में अनावेदक क.2 सीताराम के नाम भूमि स्वत्व पर दर्ज है जिन्होंने निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 11.09.15 के माध्यम से उक्त भूमि आवेदक क.1 मोहित कुमार सोनी के नाम प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय की जिसके नामांतरण हेतु विचारण न्यायालय तहसीलदार राजनगर के समक्ष विधिवत आवेदन दिनांक 27.02.2016 को मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 109–110 के तहत प्रस्तुत किए जाने के दौरान विक्रेता की पूर्ण सहमति शपथपत्र एवं जारी इश्तहार के प्रकाशन उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरण

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती वृंदा श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582–244803

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक...R-4015-E/16.....जिला ....छतरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30.11.16	1— आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उपभपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर के प्र. क्र. 94/अ—6/2015—16 में प्रचलित कार्यवाही एवं पारित आदेश दिनांक 18—11—2016 के विरूद्व म०प्र० भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 एवं संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— मैंने आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकांए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह निर्विवाद है कि आवेदक क्र.2 सीताराम शर्मा द्वारा आवेदक क.1 मोहित कुमार से 4,25,000/—रु. प्रतिफल प्राप्त कर रजिस्टर्ड विक्रयपत्र निष्पादित किया है विक्रय दिनांक 11.09.15 के पूर्व विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में विक्रेता द्वारा नामांतरण किए जाने बावत् अपनी सहमति का शपथपत्र प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख किया है। आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आर्डरशीट दि.18.03.16 में इश्तहार बाद तामील प्राप्त, कोई आपत्ति पेश नहीं होना लेख किया गया है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की वैधता की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है इस कारण निष्पादित विकयपत्र के आधार पर नामातरण किए जाने में कोई वैधानिक अडचन प्रतीत नहीं होती है। इस कारण तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.16 एवं प्रचलित कार्यवाही वैद्य नहीं पाता हूँ।	

[कृ. प. उ.

R-4015-E/16 (छत्तीस)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	3. उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार राजनगर को निर्देशित किया जाता है कि भूमि खसरा नंबर 902/2 रकवा 0.907 हे0 पर विक्रेता के स्थान पर क्रेता मोहित कुमार पिता स्व.श्री उमाकांत सोनी के नाम दर्ज करें। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	